19/03/2021

पत्रावली पेश की। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के लेखे खाते में सादर पुत्र पोखर का नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध विभिन्न तथ्यों के आधार पर किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम सागरमल पुत्र पोकरमल है तथा सादर व सागरमल दो अलग-2 व्यक्ति ना होकर एक ही व्यक्ति के नाम है। उक्त निष्कर्ष से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खोह प० ह० मनकसास की सरहद में स्थित भूमि खाता संख्या 188 नया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सादर पुत्र पोखर के बजाय सागरमल पुत्र पोकरमल दुरुस्त/शुद्ध किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करें। उक्त खाता संख्या 188 नया के शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार कर दफ्तर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.10.28 11:17:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner